HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 720/2023

Phirangi Lal Goswami S/o Shri Durgawan Goswami,

----Petitioner

Versus

Shri Jogaram Principal Secretary,

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pawan Kumar Sharma, Adv. for Mr. Ashok Bansal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. G S Gill, AAG With Mr. Manoj Kumar, Adv. Ms. Pooja Dixit, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

12/11/2025

यह अवमानना याचिका राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1084/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 की कथित अवहेलना के संबंध में प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से दिये गये निर्देशों की पालना चार सप्ताह में की जानी थी।

समकक्ष पीठ द्वारा उपरोक्त आदेश की पालना अब तक नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए दिनांक 03.10.2025 के आदेश के माध्यम से विपक्षीगण को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया जिसकी पालना में विपक्षी संख्या 1 श्री जोगाराम उपस्थित है। श्री जोगाराम की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अधिकरण के आदेश को सिविल रिट पीटीशन संख्या 16357/2022 के माध्यम से चुनौती दी गयी है, जिसमें प्रार्थी पक्ष उपस्थित हो चुके हैं, अतः ऐसी स्थिति में उचित आदेश प्राप्त करने हेतु युक्तियुक्त समय दिया जावे।

सिविल रिट पीटीशन में पारित होने वाले आदेश के अध्यधीन भी आदेश की पालना की जा सकती थी, स्पष्ट है कि आज तक पारित आदेश पर कोई स्थगन आदेश नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अवहेलना होना स्प्ष्ट है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए एक अवसर प्रदान किया जाता है। आगामी पेशी तक कोई स्थगन आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे, विपक्षी जवाब प्रस्तुत करना चाहे तो आज से 10 दिन में प्रस्तुत करे।

विपक्षी संख्या 1 का वर्तमान समय में शासन सचिवालय में पदस्थापित होना बताया गया है जो न्यायालय परिसर से 500 मीटर व 05 मिनट की दूरी पर है। वी.सी. से कई अवसरों पर प्रभावी सुनवाई नहीं हो पाती है, लंबे समय से आदेशों की अवहेलना जारी है तथा इस कारण से ना केवल प्रार्थी जिसके पक्ष में आदेश पारित हो रखा है, उसे असुविधा होती है, अपितु न्यायालय का कीमती समय, जो सद्भावी पक्षकारों के लिए है, का भी अपव्यय होता है। इन भी परिस्थितियों को विचार में लेने के उपरांत ही समकक्ष पीठ द्वारा विपक्षी संख्या 1 की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया गया था, अतः आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी तक यदि कोई स्थगन आदेश नहीं हो तथा आदेश की अपालना रहती है तो विपक्षी संख्या 1 व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहे।

विपक्षी संख्या 2 को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावे।

प्रकरण दिनांक 16.12.2025 को सूचीबद्ध हो।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /14